थनः सिंह संगट समाजतिनी किलास- लाउट, कि दूसा जनपद-आर्था, ३-५. HIGHT-7302757448 म् उत्यक्त उत्तर्भागाला, व्यक्तर। जिया:- आंदरीय संभिद्याम और उन्य सरकारी काल्यारी की आवरण सियमावरी-1928 के अनुपालकार्य महारय क्षाया संवानक प्रपत्नां में अकालात विकापत्त एवं तमावार किले कर दारा देश-पत्त निक उत्रात्मा कार निया नाया है ना अलको ना मार बाल का सेताम ग्राय कोरे। कितने अपरेक जनपर के पुरित-उद्यातीम् अरिकारी- जिल्ला देवारी अवह जिल्लारे, मुख्य विकास कीरलारी प्रवित-असीकान - उपाधीकान जापि (सरकापी क्रांचारियां) में विजी - तार्यों ने नायक्रम में भागकेशर मुख्य-अतिव निराव उपश्चीप बनकर और माखा-राय अञ्चल गुडण-विवरण किया। इन डोक्क् रिवी में निनी समारह में लब- करकार के ताय पुरुष कर शारकीय स्तीनकाय और उन्दे स्वकारी क्रोनवी की आयरण मिलमारी की क्वरवर्क उपका ही नहीं भी अपित संगीत अपमध्य में बादित अभिएक की महिनामी उत भर अवादी मा गुलकाम निया और दलाख-मामिकां मे अपनी विकारता और सेरकाण अरेशित निया। महोदय आरहीय संविधान की अया-154 शक्य की कार्य-यार्टिका शानित सहाबहिन राज्यपाद में निहित है और 3: 5. राज्य के समस्त राजनीय क्रांत्वारियों क्रीय कार्य सहस्रोह कराज्यपात के अपे अहरात हैं तथा उन् डे सरकारी क्रिकारी की आवश्य मिवमावली 1956 में उन में स्मारत स्वकारी नामियों के काम के त्रीक विश्व हैं तथा जन इसीमिथवां- स्वन-स्वतं की आवरा दिलाएं और उत्तन काम मिल्रिट् हैं। दसने बावक्र क्रिया के अधिकारी क्रेसवीरी अपने क्रिय-स्टा देख दे बादाएर और मेराक्री-साम्बदीं - अध्यादियों के ताल वापवार-रखाली करत समर दिन रहे हैं। आत्र अमी कामी-यण्ट-लट पर्वकाट व गाडी में उलिम शत्य-मान्स बनाम ट रेजनारमां से स्वेद व्यक्ती करत दिन रहे हैं। उसील-विकास दलाली परम्यसभार विकाली है और वार्-निगरी की मद्यामा (विश्वत) विश् विमा कोई भी काम हो वामा सार्पणविमां के लिए कुरिकाल कम् हुमा है। राक्नापी हेन-शाम-काटा और सरकारी पालकारों के अवगरंत-श्रीयालय-इट पार्वी कारीय रहत दे हैं, मां गान नवारी भी वे का रही है और विक्रिक विकास उपना की वी कार है मानीबाडा ते राव का स्थानाथी लाग क्रीय सरवाथी थन के मानी प्रवहा शताला उत्वाधीर मेरवा करें अध्यारियों अप नाम्ययां ने अस्यक निरीयण्या क्या प्रविद्यारिय मर मानी नाम्बारी का दिवाना के खरी सटित्य उस्ट आश्राह के प्रमाण्डकाय संत्यमान -प्रक्ती - विस्त्यम - समावार में उद्याशित निवस् किया रामाराह में जिस व्यक्तियों की साम्रोडक कर से अधिया कायर के उशासका अक्रिकी द्वारा महिमा गाउड कर उनका केरामा केरा महा कर रामकांकर गामक कामूक प्रमुक्त हाम में वेट्यो खात उस ते 066 श्रेष्ट अलाम ताम राम के कार आपि उस था. Se-51 के के के किए अलिए और उसके दुन पटाकार एवं कर्ती विद्यानिय है जो कालक विष्युक्तें-प्रायक से क्षिश्न स्टाक्टिट हैं। मिन्या द्वा का स्वादा समित में क्रांमिल देकार अपने वारिक्ता सम्में के वार्ता की कर वार्तिका कर वार्तिक अतः अपति अवश्य है कि संतामक उक्तां में प्रम्मित अदिया दानपर के द्रशामीक अल्यान महिला-१९४ में श्रीकृष्ट डायराम्। के लवरवृत्त सेवियान और संस्कारी क्रमेवारीकी ने अनुका साहता का के का कार्य की का माना की जा अपना की जा अप fulled - 51-01-5051 स्वाम एवं अत्थाक काकारिक विकिश्त-मिनास-साम्बद्धनी ा भड़ामुद्रमें शरकाडि २० २ आपने सम्प्रियों किया? ता आवेल बामिन उन्तार १ वर मामें १ ता के कर्त समिन ३० व. आपने कर्तार व

Goust-डिसिया 35



स्वामी सुखदेवानंद जी संस्थापक परमार्थ निकेतन ऋ षिकेश

श्रीयुत् पूज्य बाबूजी के श्री चरणों में समर्पित

जिसने स्वानुभूति के मन पर दंश सहे होते हैं, वे भामाशाहों के सच्चे अंश रहे होते हैं। परपीड़ा का शमन जिन्हें जिम्मेदारी लगता है, पक्ष सत्य का रखना जिनको खुदारी लगता है। शिक्षा-सेवा में जो जन सर्वस्व निछावर कर दें, पर सेवा में एकनिष्ठ जो घरती अम्बर कर दें। 'ऊषा' का सानिष्य, ज्योति का उनमें बल होता है, मर्यादा का और पराक्रम का सम्बल होता है। सारे जग में सहज प्रतिष्ठा वंत वही होते हैं, 'श्रीयुत रामशंकर जी' जैसे संत वही होते हैं। ऐसे पुरखों की स्मृति को सब सलाम करते हैं, पूजनीय 'बाबू जी' को हम सब प्रणाम करते हैं।

शब्दाहुति-अजय शुक्ल अजाम



अपर पुलिस अधी विवेकानन्द ग्रामोद्योग महाविद्य दिबियापुर-औरैया

√विशष्ट अति

अपर जिलाधिकारी (क

श्री शिष्य पा

एम.पी. सि

अवतरण 07/01/1937 ज्ञानिक रामशंकर गुप्ता अधिया अधिया

की प्रथम पुण्यतिथि पर अब्द्वाजंलि सभा का आयोजन एवं उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर डाक्यूमेंट्री फिल्म का प्रव

परमपूज्य बापू जी का जीवन सदैव समाज एवं शिक्षा जगत के लिए समर्पित रहा। समाज को सही दिशा देने के साथ ही हमें सदैव ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी। जीवन के उतार-चढ़ाव में खट्टे मीठे अनुभव में भी डिगने नहीं दिया और सन्मार्ग पर चलने का सदैव आशीर्वाद दिया। गोलोव माताजी की पूजा तपस्या ने हम सबको काबिल बनाया तो बाबूजी के आशीर्वाद ने स्वामिमान व पहचान दिलाई। जीवन में सब कुछ अपने में समेट कर आसमान की पूज्य पिताजी को शत्शत् नमन् कर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजिल देता हूं और शपथ लेता हूं कि जीवन में पथ पर सदैव बाबूजी के दिखाए सन्मार्ग पर ही चलता रहूंगा। आज हम सबको खलती है आप हमसे एक तरह दूर है लेकिन आपका एहसास हर पल होता है। वह सुबह की जल्दी आपका उठना व डांट फटकार सब कुछ याद है। आप में नहीं मूला हूं। आपके विचार हम सबमें सदैव विद्यमान रहेंगे। एक दिव्य प्रकाश था हमारे कर्मयोगी बाबूजी में जिनके ह

पंचायत निर्वाचन सूची 2020 -21 में भारी गड़बड़ी कर रहे हैं।

उधर भटक रहे थे। कुदरकोट चौकी उनके सुपूर्व कर दिया।

कल आइ और रास्ता भटक गई। सुबह कुदरकोट पुलिस चौकी पर बच्चियों की तलाश में स्वजन इधर- बुलाया और दोनों ही बच्चियों को

शिक्षाविद रामशंकर गृप्त की पुण्यतिथि पर वितरित किए गए केवल

सेवा ही सबसे पुनीत कार्य

संवादसूत्र, दिवियापुर (औरया): विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय के संस्थापक व गांधी विचारक शिक्षाविद स्व. रामशंकर गुप्ता उर्फ बाबू जी की प्रथम पुण्यतिथि पर जरूरतमंद को निश्शुल्क कंबल वितरित किया गया। सोमवार को महाविद्यालय में . हुए आयोजन में कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. विनीत त्रिपाठी ने रामशंकर गुप्त के कृतित्व व व्यक्तित्व के बारे में बताया। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ हीएम सुनील कुमार बर्मा, एसपी अपूर्णा गौतम व सीडीओ अशोक बाबू मिश्रा ने दीप प्रज्वलन कर सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण कर किया। इसके बाद स्व. रामशंकर गुप्त के चित्र पर पुष्प अपित कर उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की। सात मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में स्व. रामशंकर गुप्त के संघर्षों व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयासों को दशांया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम सुनील कुमार वर्मा ने कड़ा कि बाब जी ने जो संघर्ष किया है उसे आर्ग बढ़ाए रखना है। लोक सेवा के उनके सपने को हमें मूर्तरूप देना है। एसपी अपर्णा गीतम ने कहा कि 1972 में खुले इस महाविद्यालय में कईयों का जीवन सुधरा होगा। बाबू जी ने जिस ध्येय से इसकी स्थापना की उससे सैकड़ों युवाओं को अनेकानेक अवसर भी मिले होंगे। उनके संघर्षों को लोग हमेशा याद रखेगा। सीडीओ



क्वल वितरित करते क्षेरम सुनील कुमार वर्मा (बीच में), एसपी अपूर्णा गीतम (बाएं से दूसरी)



कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य नामरिक व पीछे पक्ति में बेटे लोग » अजनण

अशोक बाबू मिश्रा ने कहा कि गांधी विचारक सादगी पूर्ण होते है। उन्होंने गांधी दर्शन और पश्चिमी सभ्यता पर तुलना कर जानकारी दी। कहा कि बाबू जी के जीवन वृत सादगी से भरा पड़ा है। इससे पूर्व सभी अतिथियों का माल्यापण कर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गवा। प्राचार्य हॉ. इंप्तिखार हसन ने कालेज के बारे में जानकारी दी। प्रबंधक राजेश गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सुरेश मित्रा, शुक्ला ने किया।

सुनील गुप्ता,पवन गुप्ता, शिवप्रताप सिंह, आशीष सविता,अमित चौबे, राजेश उर्फ मुन्ना शुक्ला, प्रो. इकरार अहमद, डॉ. राकेश तिवारी, डॉ. संदीप ओमर, डॉ. ममता शुक्ला, श्रीमती मधु गुप्ता,भावना गुप्ता, शुभ गुप्ता, रुद्र गुप्ता, महेश पांडेय, प्रशांत तिवारी, रेनू गुप्ता, सौरभ गुप्ता आदि स्टाफ व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करुणाशंकर तिवारी ने की और संचालन अजय

Section 1997	THE PARTY NAMED IN	
दिनांक तथा समय	अपराह्न १:०० से अपराह्न १:३० बजे तक	अपराह्न २:३० र अपराह्न ३:०० वर
18-01-2021 सोमवार	मिरान शक्ति महिला संशक्तिकरण आत्मरका प्रशिक्षण भाग-2	सामाजिक विज्ञान अध्याय-7 लोकतंत्र के परिणाम भाग-2
10-01-2021 मंगलवार	मिशन शक्ति महिला संशक्तिकरण आत्मरसा प्रशिक्षण भाग-3	अखेजी अखाय-4 Socrates भाग-1
21-01-2021 गुरुवार	मिशन शक्ति महिला संशक्तिकरण आत्मरका प्रशिक्षण भाग-4	मणिल अध्याय-14 साहित्यकी भाग-1
22-01-2021 शुक्रवार	हिन्दी अध्याय-4 मेवाइ मुकुट साग-1	गणित अध्याय-14 सारिवकी भाग-2

नोट : DD-UP, अब आप इन वैनलों पर भ बिग टीवी-250, एयरटेल-4

वैनल e vidya-9 पर कक्षा-९ एवं वैन

	cholo) e	e vidya-9 पर कक्षा-9 एवं चैनत	
्र दिनांक तथा समय		प्रातः ८:३० से प्रातः ९:०० बजे तक	
4 - 6	18-81-2021 सोमवार	अंद्रेजी अध्याय-3 Primary Auxiliaries (Words and Expressions-1 Workbook)	
Bach	19-01-2021 मंगलवार	सामाजिक विज्ञान अध्याय-5-खण्ड-2 आधुनिक विश्व में घरवाहे (इतिहास-भारत और समकालीन विश्व) भाग-1/2	
51-3	21-01-2021 गुरुवार	उत्योगी अध्याय-3 Primary Auxiliaries (Words and Expressions-1 Workbook) आज-2/2	
3	22-01-2021 शुक्रवार	सामाजिक विज्ञान अध्याय-5-कण्ड-2 अधुनिक विश्व में चरवारे (इतिहास-भारत और समकालीन विश्व) भाग-2/2	

नोटः e vidya-9, जियो टीवी एप, डिश टीवी वैनल-950, e vidya-11, जियो टीर्व

माध्यि

associated college shall except with the previous approval of the ¹[State Government], be authorised to impart instruction for post-graduate degrees:

Provided that if an associated college is refused recognition for imparting instruction for post-graduate degrees, such college may, with the approval of the ¹[State Government], be granted affiliation by any University referred to in Section 37, anything in Section 5 notwithstanding, and thereupon, such college shall cease to be an associated college.

- (5) Except as provided by this Act, the Management of an associated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such college shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.
- (6) The Executive Council shall cause every associated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding three years by one or more persons authorised by it in this behalf and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.
- (7) The recognition of an associated college may, with the previous sanction of the ¹[State Government], be withdrawn by the Executive Council, if it is satisfied after considering any explanation furnished by the management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defect in its work pointed out by the Executive Council.
- ²[(8) Notwithstanding anything in this section or in Section 5, any associated college situated within the area of any University to which this section applies, may, subject to such directions, as may be issued by the State Government in this behalf, be admitted to the privileges of affiliation by any University to which Section 37 applies.]
- 39. Disqualification for membership of Management.—A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Management of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or by local authority), if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for such college or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for such college:

Provided that nothing in this section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the college or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or of a hall or hostel of the college or as a proctor or tutor or for any duties, of a similar nature in relation to the college.

Explanation.—II
the Explanation to S

- 40. Inspection, a Government shall be person or persons including buildings examinations, teachinquiry to be made and finances of such as the control of the
- (2) Where the Same be made under subrepresentative appoint to appoint a representative appoint a representative appoint an appoint
- (3) The person or shall have all the put the Civil Procedure, enforcing the attendand and material objects, of Sections 480 and proceedings before within the meaning.
- of such inspection or and the Management
- (5) The State Communication made
- (6) The State Co the Management or II with such inspection
- 41. Constituent on named by the Statute
- discipline of the standover the ministeral a such other powers
- 42. Autonomous prescribed, to an affili prescribed in that bell

Subs. by U.P. Ordinance No. 5 of 2007, Published in U.P. Gazette Extra Part 2 Section (Ka) dated 2nd June, 2007.

Subs. by U.P. Act 19 of 1987.

^{1.} Now CrPC 1973 C

PART VI

THE STATES 1[***]

GENERAL

152. Definition.—In this Part, unless the context otherwise requires, the expression "State" ²[does not include the State of Jammu and Kashmir].

CHAPTER II THE EXECUTIVE

The Governor

153. Governors of States.—There shall be a Governor for each State:

³[Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States].

- 154. Executive power of State.—(1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
 - (2) Nothing in this article shall-
 - (a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or.
 - (b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.
- 155. Appointment of Governor.—The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.
- 156. Term of office of Governor.—(1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
- (2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
- (3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

धाग 6

भारत का संविधान

अध्याय 1

साधारण

152. परिभाषा—इस भाग में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेशित न हो, ''राज्य' पद नेके अन्तर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है।।

अध्याय 2 कार्यपालिका

राज्यपाल

153. राज्यों के राज्यपाल-प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा

े[परन्तु इस अनुष्केद की कोई बात एक ही व्यक्तित को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल क्रियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी।

154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति—(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वर्ग या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

- (2) इस अनुष्योद भी भोई पात-
- (क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अन्तरित करने वाली नहीं समझी आएगी; या
- (ख) राज्यपास के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद् या राज्य के विधान-संगाल को निवारित नहीं करेगी।
- 155. राज्यपाल की विश्ववित राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुवन करेगा।
- 156. राज्यपाल को पदावकि—(1) ग्रज्यपाल, ग्रष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
- (2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
- (3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ब्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

^{1.} The words "IN PART A OF THE FIRST SCHEDULE" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, section 29 and Sch.

^{2.} Subs. by section 29 and Sch., ibid, for "means a State specified in Part A of the First Schedule".

^{3.} Added by section 6. ibid.

सॅनियान (सत्तवी संशोधन) ऑधनियम, 1956 की घारा 29 और अनुसूची द्वारा ''पहली अनुसूची के भाग क में के'' शब्दों का लोग किया गया।

संविधान (सातवाँ संशोधन) आधानयम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 'का आर्थ प्रथम अनुसूची के भाग क में उदिल्लाखत राज्य है' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

^{3.} सर्विधान (सातवी संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा बोड़ा गया।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 स्पष्टीकरण-1 इस नियम के प्रयोजन के लि^{ये}, के अन्तर्गत राज्ये पत्नी, बच्चों तथा सीतले बच्चों और बच्चों से है और इसके अन्तर्गत उसके जनक बहिने, भाई, भाई पत्ना, बच्चा तथा सातल बच्चा आर बच्चा से हैं और दें सके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्ण बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, यदि वें उसके स्पाटीकरण-2 इस नियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी वही होगा, जैसा कि नी आश्रित हों।

विभागाध्यक्ष, या मण्डलायुक्त या कलेक्टर के लिये दिया गया :-उच्च न्यायालय का प्रशासकीय जा जिला जज के लिये सम्बन्धित विभागाध्या

19. किसी सम्बन्धी, रिश्तेदार के विषय में कार्य वह सम्बन्ध के 19. किसा सन्बन्धा, रश्तदार के विषय में का वह सम्बन्ध दूर का या निकट का हो, व ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जो उसका सम्बन्धी हो, करता है, वह प्रस्ताव, मत कार्यवाही उपस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही उपस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही उपस्ताव एसे प्रस्ताव स्व प्रस्ताव या नत अरपुत परता ह या काइ अन्य कायवार प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के सा रामुन्या के नवा के जनवा उत्तक विरुद्ध हो, तो वह यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष है ?

उसका ऐसा सम्बन्धी है, तो इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है ?

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आदेश के निर्णय करते के निर्णय करते हैं मत या किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तिम रूप के सम्बन्ध में के सम्बन्ध में के सम्बन्ध में के सम्बन्ध में वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष वात मत या कार्यवाही वह प्रस्ताय, नत पा कावपाठा, किसा एस व्यक्ति विशेष्ट्राच मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष्ट्राच सम्बन्ध दूर का या निकट का हो, और चाहे उस क्रांग नहीं देगा विशेष वह सन्बन्ध पूर का या गम्कट का हा, और चाहे उस प्र पर अनुकूलता प्रभाव पड़ता हो या अन्यथा, वह कोई विजय परतव करते है पर अनुकूलता अनाप पड़ता हा या अन्यथा, वह कोई।" वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रस्तुत कर देगा। और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा सम्बन्ध स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

20. सट्टा लगाना—(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी लगी हुई पूँजी में सट्टा नहीं लगायेग 20. सद्धा लगाना—(1) काइ सरकारी क^{मझारा} स्पष्टीकरण—बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत खरीद या बिक्री के सम्बन्ध यह समझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ में लगी हुई पूँजियों में सट्टा लगाता है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभृति या लगी हुई पूँजी उप—नियम (1) में निर्विष स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारी विकाश कर्मचारी

121. विनियोग (लगाई हुई पूँजियाँ)-(1) कोई किसी सदस्य को उसके हैं स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा; जिससे उस सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रमाव पड़ने की सम्भावना हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिमृत या लगी हुई पूँजी उपनियम (1) के स्वरूप। है अथवा नहीं तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय वह निरादन है जिल्हा कोई जिल्हा होते हैं उन्हों है अथवा नहीं तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय वह निरादन है उदाहरण-कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह नियुक्त है, अपनी पत्नी या अपने प को, कोई सिनेमा-गृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा ^{खरीद}ने की अनुमति नहीं देगा और यदि वह प्र जिले को स्थानान्तरित कर दिया जाता है जहाँ उसके वित्व करेगा। युका है तो, वह अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को अविलम्ब सूचित करेगा।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956

122. उधार देना और उधार लेना-(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जबकि माने समुचित प्राधिकारीं की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके and only की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रुपया उधार नहीं लेगा और ा किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया उधार देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी सरकारी नौकरी को, अग्रिम रूप में वेतन ाकता है या, इस बात के होते हुये भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या सम्बन्धी) उसके प्राधिकार का स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है वह अपने किसी ज:तीय मित्र या सम्बन्धी को, बिना माज में एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म 🖷 गांध साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं 🖷 गीतर, रुपया उधार लेगा, और न अन्यथा, अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति वितीय आधार के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी **मा** पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को, इस प्रकार का व्यवहार करने भी अनुपति देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी जातीय मित्र व सम्बन्धी से अपने दो भार में गुल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार लेखा चला सकता है।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्त या स्थानान्तरण पर भेजा जाग जिसमें उसके द्वारा उपनियम (1) या उप-नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, ा। वा तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट मेंज देगा, और उसके बाद ऐसे भागभा के अनुसार कार्य करेगा जिन्हे समुचित प्राधिकारी दे।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो गजटेड अधिकारी है, समुचित प्राधिकारी सरकार क्या और दूसरे मामलों में कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

23. दिवाला और अभ्यासी ऋणप्रस्ताा—कोई सरकारी, कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मामलों का ाम प्रवच करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवाला से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध उसके दिवालिया होने के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, उसे चाहिये Im an तुरन्त ही उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को, जिसमें वह नौकरी कर रहा हो, सब बातों का रिपोर्ट भेज दे।

24. चल-अचल एवं बहुमूल्य सम्पत्ति—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के, जबिक मंगुपित प्राधिकारी को इसकी पूर्ण जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी मार्थ के नाम से पटटा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेण और न उसे बेचेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्याति प्राप्त व्यापारी से mm व्यक्ति द्वारा संपादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उदाहरण- "क" जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे गामुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना ये देनी चाहिये। यदि वह व्यवहार, किसी नियमित और 10 चन्दे कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके, किसी ऐसे धर्मा प्रयोजन के लिये चन्दा या कोई अन्य वितीय सहायता माँग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उर इकट्ठा करने में भाग ले सकता है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरी सहायता शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगित के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नही है कि वह इनके अतिरिक्त किसी अ अन्य प्रयोजन के लिये चन्दा आदि माँगे।

111-मेंट-कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के ज़बकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति कर ली हो-

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसव निकट सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रहं धन पुरस्कार स्वीकार नहीं होगा।

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसव निकट सम्बन्धी न हो, कोई भेंट. अनुग्रह धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी जातीय मित्र से, सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दसा। या उससे कम मूल्य का एक विवाहोहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहा रवीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे रवीकार करने की अनुमति दे सकत है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे इस प्रकार के उपहारों को दिये जाने को भी रोक का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक करने के नागरिक यह निश्चय करते हैं 'क' को, जो एक सब डिवीजन अफसर है, बा के दौरान उसके द्वारा की गयी सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी मेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उस मूल वेतन के दसांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना 'क' उक्त उपहार स्वीक नहीं कर सकता है।

11.क-कोई सरकारी कर्मचारी-

- (i) न तो दहेज देगा या प्राप्त करेगा या दहेज लेन देन को प्रेरित करेगा, अथवा
- (ii) वधू या वर जैसी भी दशा हो के माता-पिता अथवा अभिभावक से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः को वहेज की माँग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिये दहेज शब्द का अर्थ है जो दहेज निषेध अविनिया 1961 में दिया गया हैं।

- ²12-चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भेंट इत्यादि का लिया जाना-(निरस्त)
- 13-रीतिका समारोहों में कर्णिकी इत्यादि का उपहार स्वरूप किया जाना-(निरस्त)
- 14—सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन—कोई सरकारी कर्मचारी, सिंवा उस दशा के जबिक उसने सरकार के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, कोई मान—पत्र या विदाई—पानहीं लेगा, न कोई प्रमाण—पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचार के सम्मान में अयोजित किसी समा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के सम्बन्ध में लागू न होगी जो सारतः निजी तथा अरीतिका स्वरूप का हो और जो किसी सरकारी कर्मचारी व सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने या बदली के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति व सम्मान में अयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

porta force

उदाहरण

क' जो एक डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। 'ख' जो जिलें में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर क बाजान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुये व्यक्ति आमन्त्रित किये गये हों।

118, असरकारी व्यापार या नौकरी—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि 1114 सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में 18 आवेगा और न ही कोई नौकरी करेगा।

किया प्रतिबन्ध यह है, कि कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई स्वाधिक मा प्रवाध प्रकार को अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलाँत्मक या वैज्ञानिक प्रकार का साधिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में को अववा वहीं प्रकार है तथा वह ऐसे कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष का बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे अववा का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने हाथ में ले लिया का बाद कर देगा।

किन्तु अप्रतर प्रतिबन्ध यह है किन्तु सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा । अगरकारी व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना । अस्कारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जायेगी।

10 (क) पीदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार के सम्बन्ध में प्रतिबोध—कोई सरकारी कर्मवारी पीवत वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी परिसंकटमय कार्य में न तो नियोजित करेगा, व वागएगा वा ऐसे बच्चे से बेगार या इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम नहीं लेगा।

16. क्रम्पनियों का निबन्धन, प्रवंतन तथा प्रबन्ध कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के अविक उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन प्रवर्ण या प्रबन्ध में भाग लेगा, जो इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध हुआ है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी कर्मचारी को को—आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट. 1965 (यू० मीत एक्ट से 11. सन् 1966) के अबीन या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी सहकारी समिति मा सोसाइटीज रिजरट्रेशन ऐक्ट. 1860 (ऐक्ट सं0 21, 1860) या किसी तत्स्थानीय प्रवृत्त विधि के अधीन विश्व किसी साहित्यक, वैज्ञानिक या धमार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रवन्ध में भाग ले सकता है।

अप्रतेर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी समिति के प्रतिनिधि के भग में किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय में उपस्थित हो तो वह उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय में उपस्थित हो तो वह उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय के किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचनों में केवल अपना मत देने के निर्वाच भाग ले सकता है।

17. बीमा कारोबार—कोई सरकारी कर्मचारी, अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य सम्बन्धी को जो या तो उस पर पूणतः आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो उसी जिले में, जिसमें वह तैनात हो, बीमा अधिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा।

18. अवयरकों का संरक्षकत्व—कोई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयरक के अतिरिक्त, किसी अन्य अव्यस्क के शरीर या सम्पत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगा।

¹⁻ संख्या-957/कार्मिक-1/1998 लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित।

² अधि०सं०-9/7/78-कार्मिक 1 दिनांक 20 नवम्बर, 1980 निरस्त किया गया।

संख्या-957/कार्गिक-1/1998 लखनक दिनांक 17 अक्टूबर, 1938 द्वारा संशोधित।

²⁻ संख्या-13/5/98-कार्गिक-1/2002 लखनऊ दिनांक 9 अस्परत, 2002 द्वारा बढ़ाया गया।

³⁻ रांक्या-9-7-78-कार्षिक-1 दिनांक 20 नवन्बर, 1980 द्वारा संशोधित।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956

13-कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की प्रतिषेध-(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य स्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्य स्थल पर किसी में संलिप्त नहीं होगा।

महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। क यान उत्पाड़न का राज्य के प्रयोजनों के लिए 'यौन उत्पीड़न' में प्रत्यक्षः या अन्यथा कामवासना स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए 'यौन उत्पीड़न' में प्रत्यक्षः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि—

(क) शारीरिक स्पष्टी और कामोदीप्त सम्बन्धी चेष्टाएँ,

(ख) यौन रवीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) कामवासना—प्रेरित कव्तियाँ,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ड) यौन सम्बन्धी कोई अन्य अशोमनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण। (ङ) थान सम्बन्धा कार्श्व व्यवहार-प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी

भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों न हों, समान व्यवहार करेगा। त, पथ या धम क क्या कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

2) काइ मा सरकारा औषधि का सेवन कोई भी सरकारी कर्मचारी— क. मादक पान (क) वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि सम्बन्धी प्रवृत किसी (क) किसी क्षेत्र में, जहाँ वह तत्समय

विधि का दृढ़ता से पालन करेगा।

ा दृढ़ता स पालन कर के दौरान किसी मादकपान या औषधि के प्रभावधीन नहीं होगा और (ख) अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादकपान या औषधि के प्रभावधीन नहीं होगा और (ख) अपन कर्तव्य पाल कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी प्रकार ऐसे इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी होता है। पेय या भेषज के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है।

भवज क प्रभाव स प्रभाग में किसी मादकपान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा.

(घ) मादक पान करकें किसी सार्धजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा,

(ड) किसी भी मादकपान या औषधि का प्रयोग अत्याधिक मात्रा में नहीं करेगा। (७) किसा भा मादका नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या स्पष्टीकरणः (i) — इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या स्पष्टीकरणः (i)—इस स्वारी भी है, जहाँ भुगतान करके या अन्य प्रकार से जनता जा सकती भूगृहादि जिसके अन्तर्गत कोई हो या उसे आने जाने-की अनुझा हो।

स्पष्टीकरण (ii) कोई गोष्ठी (क्लब)-

स्पष्टाकरण (ii) कार विन व्यक्तियों की सदस्यों के रूप में प्रवेश देती है, अथवा, (क) जा सरकारा का सदस्यों को उसके अतिथि के रूप में आमन्त्रित करते हैं यद्यपि सदस्यता (ख) जिसके सदस्य ग्रेर

सरकारी सेवकों तक ही सीवित क्यों न हो. ा सवका तक हा सार्वे प्रयोजनों के लिए ऐसा स्थान माना जायेगा जिसके लिये जनता की पहुँच यह भी स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए ऐसा स्थान माना जायेगा जिसके लिये जनता की पहुँच

हो अथवा पहुँच के लिये अर्जुङ्गत हो।

वा पहुंच क लिय अप में हिस्सा लेना—(i) कोई भी सरकारी कर्मवारी किसी राजनीतिव 5. राजनीति तथा बुनाव में हिस्सा लेना—(i) कोई भी सरकारी कर्मवारी किसी राजनीतिव 5. राजनीति तथा 9 जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उसरी वल का या किसी संस्था की को अन्दोलन में या संस्था में दिल्ला की सामानिक किसी संस्था की की अन्दोलन में या संस्था में दिल्ला की सामानिक किसी संस्था की की अन्दोलन में या संस्था में दिल्ला की सामानिक किसी संस्था की की अन्दोलन में या संस्था में दिल्ला की सामानिक किसी संस्था की की अन्दोलन में या संस्था में दिल्ला की सामानिक की सामानि पल का या किसी सरखा के पूर्व अन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसके सहायतार्थ चन्दा

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956

वेगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा,जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित प्रति सरकार के उच्छेदक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती हैं।

उदाहरण राज्यक

राज्य में "क", "ख", "ग" राजीतिक दल है। "क" वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है और जिसने उस समय की सरकार बनाई है। "अ" एक सरकारी कर्मचारी है।

इस उपनियम को निषेधाज्ञा 'अ' पर सभी दलों के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिसमें "क" दल भी ी जिसके हाथ में सत्ता है, सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होया कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को एसी अन्दोलन या क्रिया में जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक । या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा केंगे या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और उस दशा में जबकि कोई गरकारी कर्मचारी अपने परिवार से किसी सदस्य को किसी ऐसे अन्दोलन या क्रिया में हिस्सा लेने, गारायतार्थं चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो यह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

क एक सरकारी कर्मचारी है। कि अ

"ख" एक परिवार का सदस्य है, जैसे उसकी परिभाषा नियम 2 (ग) में दी गयी है।

"म" वह आन्दोलन या क्रिया है, जो प्रयक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति वार्यक है या उसके प्रति उच्छेदक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

"क" को विदित हो जाता है कि इस उपनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, "म" के साथ "ख" का गणक आपत्तिजनक है। "क" को चाहिये कि वह "ख" के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोके। यदि "क" के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इंस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज वेना चाहिये।

(3) [x x x]

"If any question arises whether any movement or activity falls with in the scope of this rule, the decision of the Government thereon shall be final."

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में, न तो मतार्थन करेगा, न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें हिस्सा लेगा, किल प्रतिबन्ध यह है कि-

(i) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अधिकार अधिकार णा प्रयोग करता है वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने मा विचार किया है अथवा किसी ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(ii) केवल इस कारण से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा याद्रसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोदित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता , उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के उपबन्धों का उल्लंधन किया है।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण-नियमावली, 1956

(राजाज्ञा स0 - 957 / कार्मिक- 1/1998 लखनऊ : दिनोंक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित)

> नियुक्त (B) विभाग विविध

संख्या- 2367/118-BII-54 दिनॉक : 21 जुलाई, 1956

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, पत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के आधरण को विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं:

uo प्रo सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित)

- 1 संक्षिप्त नाम ये नियम "उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956"
 - 2 -परिभाषायें जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ न हो, इन नियमों में-
 - (क) "सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,
- (ख) "सरकारी कर्मचारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से हैं, जो उत्तर प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध लोक रीवाओं और पर्दों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण-इस बात के होते हुये भी कि उस सरकारी कर्मचारी को वेतन उत्तर प्रदेश की सांचित निधि के अतिरिक्त साधनों से लिया जाता है, ऐसा सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवायें उत्तर प्रवेश सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

- '(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, "परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे :—
- (i) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी उसका पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री या अविवाहित सौतेली पुत्री चाहे वह उसके साथ रहती/रहता हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी में सम्बन्ध में, उसके साथ रहने या न रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहिता पुत्रियों या अविवाहित सौतेली पुत्रियों, तथा :
- (ii) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो उक्त सम्बन्ध से या विवाह द्वारा, उक्त सरकारी कर्मचारी का सम्बन्धी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो, और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णत. आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पित सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक् की गई हो/पृथक् किया गया हो या ऐसा पुत्र, सौतेला किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा, विचत कर दिया गया हो।

- 3. सामान्य—(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों में, परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य प्रायणता से कार्य करता रहेगा।
- (2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत्त विशिष्ट या ध्वनित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।